संख्या : 18-दो(1)/XXXVI(2)/2008-12-दो(1)/06-टी.सी.

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 27 जून, 2008

विषय: 12वें वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा शासकीय अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत न्याय विभाग के विभिन्न भवनों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित अपने प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा शासकीय अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत निम्न तालिका में अंकित न्याय विभाग के अनुरक्षण/मरम्मत से सम्बन्धित कार्यो हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कुल धनराशि रु० 65,88,000/ (पैसठ लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-2009 में कुल रु० 65,88,000/-(पैसठ लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	विभागीय आगणन	टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1.	जिला न्यायालय भवन, नैनीताल की मरम्मत	9.31	8.87
2.	दीवानी न्यायालय भवन, हल्द्वानी, नैनीताल की विशेष मरम्मत	16.32	13.82
3.	जिला न्यायालय, नई टिहरी का अनुरक्षण आदि	5.90	5.54
4.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय परिसर, नई टिहरी की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य	4.98	4.10

5.	न्यायालय परिसर, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में अनुरक्षण कार्य	7.90	7.56
6.	रोशनाबाद स्थित जिला न्यायालय, हरिद्वार के भवन का रख-रखाव एवं मरम्मत	20.78	15.28
7.	मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल स्थित चार लघु न्यायालय ब्लाक 'बी', फेसिलीटेशन केन्द्र व औषधालय आदि में रंगाई-पुताई एवं मरम्मत का कार्य	11.24	10.71
	कुल धनराशि	76.43	65.88

(कुल धनराशि पैसठ लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र)

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाय ।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकृत विभाग/सक्षम अधिकारी से नक्शा पास कराया जाना आवश्यक है ।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।

(5) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का

अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(11) मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य -आयोजनेत्तर-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-150पी/XXVII(5)/2006, दिनांक 20.6.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-18-दो(1)/XXXVI(2)/2008-12-दो(1)/06-टी.सी.-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड,माजरा,देहरादून ।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3- जिला न्यायाधीश, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं टिहरी गढ़वाल ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/नई टिहरी/ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार ।
5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल ।
7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, टिहरी गढ़वाल,नई टिहरी ।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,काशीपुर(ऊधमसिंहनगर) ।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार ।
10- शोध अधिकारी, 12वीं वित्त आयोग, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
11- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
12- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।